सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 401 राँची, सोमवार, 13 जुलाई, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

22 जून, 2026

संख्या-11/आ०-10/2022-3907--श्री हामिद अख्तर, तत्कालीन काराधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची (सम्प्रति-कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची) के पत्रांक-378, दिनांक-14.02.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किये गये :-

आरोप सं०-1. श्री हामिद अख्तर, अधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची द्वारा बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची में संसीमित सजावार बंदी नितीश कुमार, पे०- शिव कुमार प्रसाद ग्राम-पीपरटोली, थाना-खंटी को आदतन श्रेणी का अपराधी होने के बाद भी झारखण्ड राज्य अस्थायी निर्मुक्ति नियमावली-2012 के कंडिका-7 (1) (ख) (i) का उल्लंघन करते हुए बंदी का पैरोल स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है। झारखण्ड राज्य अस्थायी निर्मुक्ति नियमावली-2012 के कंडिका-7(1) (ख) (i) में उल्लेखित है कि आदतन श्रेणी के अपराधी पैरोल के अधिकारी नहीं होंगे। श्री हामिद अख्तर, अधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य अस्थायी निर्मुक्ति नियमावली-2012 के कंडिका-7 (1) (ख) (i) का उल्लंघन करते हुए पैरोल स्वीकृत की अनुशंसा की गयी है। पैरोल पर मुक्त बंदी अब तक कारा में लौटकर नहीं आया ।

<u>आरोप सं०-2.</u> श्री हामिद अख्तर, अधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची द्वारा पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-5553, दिनांक-28.08.2025 द्वारा श्री अख्तर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-218, दिनांक-06.10.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी का मंतव्य है कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाया गया आरोप सं०-1 कारा हस्तक नियमावली के आलोक में नियमानुकूल नहीं होने एवं आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान साक्ष्य आधारित होने के कारण प्रमाणित नहीं होता है। आरोप सं०-2 इस क्रम में प्रासंगिक नहीं है।

4. श्री अख्तर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री हामिद अख्तर, तत्कालीन काराधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची (सम्प्रति-सेवानिवृत्त) को आरोप मुक्त किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री हामिद अख्तर, सेवानिवृत्त काराधीक्षक एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 401 - 50